न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 89 / 2025	2025 / 2292	10.06.2025	09.07.2025

1– निहाल सिंह पुत्र सुरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–सरकार जये तहसीलदार किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 03.04.2025 नामान्तकरण संख्या 2465 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री हरीश कुमार –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 2465 निर्णय दिनाक 03.04.2025 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि खाता संख्या 175 में वर्णित आराजीयात आराजी खसरा न0 247 / 1.0900 है0 का 1 / 7 भाग व खाता संख्या नया 433 में वर्णित आराजी खसरा न0 1 / 0.3800 है0, 2 / 0.1400 है0, 4 / 0.4900 है0 किता 3 / 1.0100 है0 का 5 / 36 हिस्सा व खाता संख्या नया 432 में वर्णित आराजी खसरा न0 54 / 0.0900 है0, 55 / 0.7500 है0, किता 2 / 0.8400 है0 का 5 / 36 हिस्सा व खाता संख्या नया 102 में वर्णित आराजी खसरा न0 56 / 1500, 57 / 0.2200 है0, 63 / 0.1300 है0, 65 / 0.1400 है0, 66 / 0.0600 है0, 67 / 0.0600 है0, 69 / 0.0900 है0, 70 / 0.0400 है0, 71 / 0.0600 है0, 72 / 0.0600 है0, 73 / 0.1300 है0, 76 / 0.2400 है0, 77 / 0.0600 है0, किता 13 / 1.4400 है0 का 5 / 36 हिस्सा वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास मिन अपीलान्ट के हक–हिस्से की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, मिन अपीलान्ट को अपने परिवार व अपनी आवश्यकताओ हेतु रूपयो की आवश्यकता पडने पर मिन अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी पर एस.बी.आई शाखा किशनगढबास से ऋण लिया गया। जिस की समस्त किस्त संबंधित बैक को चुकता अदा कर नोडयूज प्राप्त कर लिया गया। मिन अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी के अपने हक–हिस्से पर बैक से ऋण लेने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलान्ट के नाम के बाद रहिन बैक का इन्द्राज चला आ रहा है। मिन अपीलान्ट द्वारा समस्त ऋण राशि अपीलान्ट द्वारा चकता करने पर बैक द्वारा नोडयूज प्रमाण–पत्र प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढबास को लिखित प्रार्थना पत्र दिनाक 24.03.2025 देकर आराजी अपने हक व हिस्से की आराजी रहन मुक्त करने का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। तथा अपने हक–हिस्से की आराजी को रहन मुक्त करने के लिए निवेदन किया गया। जिस पर वास्ते जॉच कर कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का को भिजवाया

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

गया। पटवारी हल्का द्वारा जॉच कर नोडयूज प्रमाण पत्र अपीलान्ट से लेकर आराजी का रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 2465 दिनाक 30.03.2025 को दर्ज करते हुए रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया गया जिस नामान्तकरण को रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनाक 03.04.2025 को निरस्त कर दिया। जिसमें स्थगन आदेश से प्रभावित होने का अंकन दर्ज करते हुए निरस्त किया गया है। जबकि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नही है। आराजी हर प्रकार से पाक–साफ है। रेस्पोडेन्ट ने किसी प्रकार कोई गौर नही किया गया और पटवारी हल्का द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट पर भी कोई गौर नही किया गया और बेजा तोर से अपीलान्ट का नामान्तकरण खारिज किया गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 में मिन अपीलान्ट का हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, अपीलान्ट के हिस्से की आराजी किसी भी प्रकार विवादित नही है। मिन अपीलान्ट के हक–हिस्से की आराजी से किसी अन्य का किसी भी प्रकार संबंध व सरोकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 22.05.2025 को जब पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने गया तब जानकारी हुई है, की मिन अपीलान्ट का नामानतकरण खारिज कर दिया गया है। जिस पर बिना देरी किये गये राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह मशवरा कर अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु अपील के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 03.04.2025 नामान्तकरण संख्या 2465 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2465 निर्णय दिनांक 03.04.2025 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व पेश की गयी है, जो करीब 25 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 03.04.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 22.05.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि अपीलान्ट के हक–हिस्से की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी पर अपने परिवार व अपनी आवश्यकताओ हेतु रूपयो की आवश्यकता पडने पर अपने हिस्से की आराजी पर एस.बी.आई शाखा किशनगढबास से ऋण लिया गया। अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी के अपने हक–हिस्से पर बैक से ऋण लेने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलान्ट के नाम के बाद रहिन बैक का इन्द्राज चला आ रहा है। समस्त ऋण राशि अपीलान्ट द्वारा चकता करने पर बैक द्वारा नोडयूज प्रमाण–पत्र प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढबास को लिखित प्रार्थना पत्र दिनाक 24.03.2025 देकर आराजी अपने हक व हिस्से की आराजी रहन मुक्त करने का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर वास्ते जॉच कर कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का को भिजवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा जॉच कर नोडयूज प्रमाण पत्र अपीलान्ट से लेकर आराजी का रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 2465 दिनाक 30.03.2025 को दर्ज करते हुए रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया गया जिस नामान्तकरण को रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनाक 03.04.2025 को निरस्त कर दिया। जिसमें स्थगन आदेश से प्रभावित होने का अंकन दर्ज करते हुए निरस्त किया गया है। तहत अदालत का रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष दिनाक 24.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान जो स्थगन आदेश से प्रभावित है, को छोडकर अन्य खसरा नम्बरान जो रहन मुक्त हो चुके का नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया जाने हेतु पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी। पटवारी हल्का

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

द्वारा रिपोर्ट दिनाक 24.03.2025 पेश कर अवगत कराया गया है, कि आराजी खसरा न0 90, 91, 92, 248, 210, 211,213 / 1259, 215, 93 / 1249, 94, पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास उनवान रतनसिंह बनाम गोपीचंद वगै0 मुकदमा संख्या 34 / 14 व तहसीलदार किशनगढबास का पत्राक भ0अ0 / 2019 / 259–260 दिनाक 30.01.2019 से रिकार्ड व मौका स्थिति का स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ है। स्थगन से प्रभावित खसरा नम्बरान का नामान्तकरण दर्ज किया जाना संभव नही है, जिस पर पुनः पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी कि स्थगन आदेश से प्रभावित खसरा नम्बरान को छोडते हुऐ शेष खसरा नम्बरान में आराजी फक करने की कार्यवाही की जा सकती है, या नही दिनाक 24.03.2025 को पटवारी हल्का रिपोर्ट में अंकित किया गया है, कि स्थगन से प्रभावित खसरा न0 के अलावा नो–डयूज में दर्ज अन्य खसरा न0 पर नामान्तकरण दर्ज किया जा सकता है। जिस पर तहत अदालत द्वारा जर्ये पत्राक 539 दिनाक 24.03.2025 को पटवारी हल्का कोलगांव को लिखा गया है, कि स्थगन आदेश से प्रभावित खसरा नम्बरान को छोडकर शेष खसरा नम्बरान पर फक रहन का नामान्तकरण दर्ज करे। पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 30.03.2025 को तहसीलदार किशनगढबास के पत्राक भ0अ0 / 539 दिनाक 24.03.2025 का उल्लेख अंकित करते हुऐ स्थगन आदेश से प्रभावित खसरा नम्बरान के अलावा अन्य खसरा नम्बरान का नामान्तकरण दर्ज कर पेश किया गया है। तथा यह भी अंकित किया गया है, कि दर्ज खसरा नम्बरान पर कोई स्थगन आदेश नही है। इसके बावजूद भी तहत अदालत के द्वारा दिनाक 03.04.2025 उक्त नामान्तकरण स्थगन आदेश प्रभावित होने एवं बाद पुनः जॉच भी सम्बधित न्यायालय आदेश दस्तावेज संलग्न न होने से संशोधित नामान्तकरण मय रिपोर्ट समयावधि में प्रस्तुत करे पारित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 03.04.2025 नामान्तकरण संख्या 2465 ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्ट को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधि–सम्मत पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर, जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)